

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर  
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/ 81 / 2018  
सेवा में,


दिनांक : 20/02/2018

प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष,  
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय,  
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

**विषय : सत्र 2017-18 की संस्थागत/वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के सम्बन्ध में महोदय/महोदया!**


कृपया उपर्युक्त विषय शासनादेश सं०-04/2018/101/सत्तर-1- 2018-16(9)/2018 दिनांक 01.02.2018 के बिन्दु-03 में सी.सी.टी.वी. कैमरे आदि लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिस पर परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 16.02.2018 के विनिश्चय सं०-02 के बिन्दु 07 में परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा तत्काल लगाये जाने तथा बिन्दु-08 में किसी भी समय परीक्षा केन्द्र का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि परीक्षा की शुचिता के दृष्टिगत समस्त नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र से उसकी दिन-प्रतिदिन की रिकार्डिंग मांगे जाने पर वे विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें।

अतएव सत्र 2017-18 की परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्षों से अनुरोध है कि वे परीक्षा समिति के निर्णय के अनुपालन में समयबद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।

  
(उमानाथ)  
परीक्षा नियंत्रक

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपकुलसचिव (परीक्षा)।
2. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय आदेश से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. वैय० सहायक, वित्त अधिकारी।
5. वैय० सहायक, कुलसचिव।
6. वैय० सहायक, परीक्षा नियंत्रक।
7. आदेश पुस्तिका।

  
(रणजीत यादव)  
उपकुलसचिव (परीक्षा)  
dc